कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला कोण्डागांव (छ0ग0)

आदेश

क्रमांक / 1385 / रीडर / जि0दण्डा0 / 2021 कोण्डागांव दिनांक 17 / 05 / 2021

कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 1384 / रीडर / जि0दण्डा0 / 2021 कोण्डागांव दिनांक 15 / 05 / 2021 के द्वारा कोण्डागांव जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 31 / 05 / 2021 प्रातः 06.00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए कड़े प्रतिबंध लागू किये गये है।

1. उक्त आदेश की कंडिका 27 को विलोपित कर नवीन कंडिका "कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील कार्यालय, अस्पताल, थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवा के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों / कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। वन विभाग द्वारा संचालित अति आवश्यक सेवाएं जैसे – वनोपज क्रय, भण्डारण, परिवहन, वनो में अग्निशमन सेवाएं, वन्य प्राणी संरक्षण संबंधी गतिविधियां प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी।" स्थापित की जाती है।

2. उक्त आदेश की कंडिका 8 में आंशिक संशोधन कर नवीन कंडिका "दिनांक 18 / 05 / 2021 से कपड़ा दुकान, ज्वेलरी, फैंसी, बर्तन एवं जुते–चप्पल की दुकान सप्ताह के दिन – सोमवार, मंगलवार, बुधवार एवं स्टेशनरी, मोबाईल रिपेयरिंग, कम्प्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिटिंग प्रेस सप्ताह के दिन – गुरूवार, शुक्रवार, शनिवार को प्रातः 08.00 बजे से अपरान्ह 02.00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी दुकान में फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए भीड़–भाड़ की स्थिति निर्मित होने या राज्य शासन / इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन होने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु दुकान सील करने की कार्यवाही की जायेगी।" स्थापित की जाती है।

3. उक्त आदेश की कंडिका 3 (i) में आंशिक संशोधन कर नवीन कंडिका "होटल, भोजनालय एवं रेस्टोरेंट्स में प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक खोलकर टेक–अवे की अनुमति होगी तथा रात्रि 10.00 बजे तक होम डिलीवरी की सुविधा रहेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थित ढाबा में टेक–अवे की अनुमति होगी। होटल, भोजनालय, रेस्टोरेंट्स एवं ढाबा में ग्राहकों को बैठाकर भोजन कराना पूर्णतः वर्जित होगा। भीड़–भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन होने पर होटलों, रेस्टोरेंट्स एवं ढाबा को नियमानुसार 30 दिवस हेतु सील करने की कार्यवाही की जायेगी।" स्थापित की जाती है।

4. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जिला कोण्डागांव की शाखाओं/संबद्ध लैम्पस संस्थाओं से कृषि ऋण, खाद, बीज, बोनस राशि आदि प्राप्त करने हेतु अधिकतम 30 कृषक सदस्यों को प्रत्येक कार्य दिवस में टोकन जारी किया जाकर एक समय में 04 से 05 कृषकों को बैंक शाखा/लैम्पस में प्रवेश की अनुमति दी जाती है। तदानुसार बैंक ए.टी.एम/माईक्रो ए.टी.एम/पी.ओ.एस. मशीन का अधिकतम प्रयोग किये जाने हेतु बैंकों को कोविड–19 प्रोटोकॉल का पालन किये जाने की शर्त पर संचालन की अनुमति दी जाती है।

5. ग्राहक सेवा केन्द्र (C.S.P.) अपरान्ह 02.00 बजे तक खोले जायेंगे किन्तु मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में अर्थदण्ड के साथ–साथ केन्द्र की आई.डी. निलंबित की जायेगी।

6. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/1345/रीडर/जि0दण्डा0/2021 कोण्डागांव दिनांक 07/05/2021 के द्वारा जारी शर्तो के अधीन बोर खनन कार्य की अनुमति होगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(पुष्पेन्द्र कुमार मीणा)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला कोण्डागांव (छ0ग0)

पृ. क्रमांक/1385-A/रीडर/जि0दण्डा0/2021 कोण्डागांव दिनांक 17/05/2021

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. आयुक्त महोदय, बस्तर संभाग (जगदलपुर) की ओर सादर सूचनार्थ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज, जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
5. पुलिस अधीक्षक जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. सर्व तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. खाद्य अधिकारी जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, मर्यादित जगदलपुर को सूचनार्थ।

13. नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, मर्यादित जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. अधीक्षक, डाकघर बस्तर संभाग/उप संभागीय निरीक्षक डाकघर, उपसंभाग कोण्डागांव जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
16. सर्व थाना प्रभारी जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
17. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
18. सहायक संचालक जनसम्पर्क जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
19. सर्व संबंधितों ....को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला कोण्डागांव (छ0ग0)